



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06062025-263653
CG-TL-E-06062025-263653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2025/ज्येष्ठ 16, 1947

No. 2441]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2025/JYAISTHA 16, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 2 जून, 2025

का.आ. 2500(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “बादामपुड़ी स्टेशन यार्ड में किमी. 529/36 – 530/02 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 369 के स्थान पर प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज।” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. D/Con/BZA/ROB/369/37A]
सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 2nd June, 2025

S.O. 2500(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Proposed Road Over Bridge in lieu of existing Level Crossing Gate No.369 at KM.529/36 –530/02 at BADAMPUDI Station Yard" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Eluru for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. D/Con/BZA/ROB/369/37A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV